02/2015 जिला कलैक्टर श्रीगंगानगर

विविध बैंक प्र0सं0 02/2015 गृह फाईनेन्स लि0 स्थानीय शाखा कार्यालय 95 वृन्दावन विहार , बिहाणी चिल्ड्रन एकेडेमी के सामने, गगन पथ, श्रीगंगानगर बनाम 1–भागीरथ पुत्र सेवाराम निवासी 1 एफ छोटी, टेलेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर (मृत्तक) जरिये विधिक वारिसान 1/1–रूबिना पुत्री स्व. भागीरथ निवासी 1 एफ छोटी, टेलेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर 1/2–रजत पुत्र स्व. भागीरथ निवासी 1 एफ छोटी, टेलेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर 2–सुखी उर्फ सुलोचना पत्नि स्व. भागीरथ निवासी 1 एफ छोटी, टेलेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

07.02.2017

प्रार्थी गृह फाईनेंस लि0 के अभिभाषक श्री संजीव गुप्ता उपस्थित है। प्रा0 पत्र मय फहरिस्त सूचि में अंकित मूल अखबार युगपक्ष, कृषि प्रभात दैनिक प्रभात दि0 07.12.14 जिसमें मृत्तक ऋणी भागीरथ के उतराधिकारी रूबिना, रजत, श्रीमति सुखी उर्फ सुलोचना का कब्जा संबंधि नोटिस प्रकाशित करवाया है व सर्टिफिकेट प्रकाशक दैनिक युगपक्ष 02.02.17 व सर्टिफिकेट प्रकाशक कृषि प्रभात 01.02.17 पेश किये, जिसके अनुसार इन समाचार पत्रो का बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चुरू सहित पश्चिमी राज0 में सघन प्रसार है। उनकी पुनः बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी गृह फाईनेंस लि0 के अभिभाषक श्री संजीव गुप्ता का कथन है कि उनके द्धारा एक प्रा0पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी कम्पनी द्वारा अप्रार्थीयान 1– भागीरथ पुत्र सेवाराम 2–सुखी उर्फ सुलोचना पत्नि भागीरथ निवासी 1एफ छोटी, टेलेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर को ऋण सुविधा के रूप में ऋण 2,00,000/–रूपये (अखरे रूपय दौ लाख मात्र) दिनांक 11.12.2009 को स्वीकृत किया गया था। अप्रार्थीयान ने ऋण की सुरक्षा की एवज में अपनी अचल सम्पति चक 1 एफ छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर तादादी 927 वर्गफीट (पट्टा न0 21) को प्रार्थी कम्पनी के पास रहन रखा। अप्रार्थी भागीरथ की दिनांक 29.02.2012 को मृत्यु हो चुकी है जिसके विधिक वारिसान अप्रार्थी सं0 1/1 रूबिना एवं 1/2 रजत व अप्रार्थी सं0 2 सुखी उर्फ सुलोचना है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा ऋण की शर्तो के अनुसार नियमित रूप से ऋण का भुगतान नही किया गया जिस कारण अप्रार्थीयान का ऋण खाता दिनांक 31.05.2013 को एनपीए घोषित कर दिया गया। अप्रार्थी ऋणी भागीरथ की मृत्यु होने के कारण उसके विधिक वारिसान एवं अप्रार्थी सं0 2 को धारा 13(2) के अन्तर्गत 60 दिवस का रजिस्टर्ड एडी नोटिस दिनांक 02.08.2014 का बकाया राशि

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

2,01,105.61/रूपये (अखरे दो लाख एक हजार एक सौ पांच रूपये व इकसठ पैसे) एवं बकाया ब्याज व अन्य खर्चे जमा करवाने का दिया गया, जो उन्हे प्राप्त नही होने के कारण उक्त नोटिस बंधक रखी सम्पती पर दिनांक 13.09.2014 को चस्पा किये गये एवं इसके पश्चात दिनांक 23.09.2014 को दैनिक युगपक्ष व दैनिक कृषिप्रभात समाचार पत्रों में नोटिस प्रकाशित करवाये जाने के बावजूद भी अप्रार्थीगण द्वारा कम्पनी की बकाया ऋण राशि का भुगतान नही किया गया है। नोटिस अखबार में प्रकाशित करने के 60 दिन पूर्ण होने पर कम्पनी के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा दिनांक 02.12.2014 को उक्त बंधक सम्पति का सांकेतिक कब्जा भी लिया जा चुका है। सांकेतिक कब्जे बाबत अखबार में दिनांक 0701202014 को साया करवाया गया है। इसलिए अप्रार्थीयान द्धारा ऋण की सुरक्षा की एवज में कम्पनी के पास बंधक रखी गयी अचल सम्पति चक 1 एफ छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर तादादी 927 वर्गफीट (पट्टा न0 21) व उस पर निर्मित भूखण्ड का भौतिक कब्जा प्रार्थी कम्पनी को पुलिस की सहायता से दिलाया जावे।

मैने प्रार्थी कम्पनी के अभिभाषक के तर्को पर मनन किया एवं धारा 14 के प्रा0 पत्र का व उसके साथ अन्य प्रस्तुत सलंग्न दस्तावेजात एवं प्रस्तुत प्रा0 पत्र दिनांक 09.01.17 उसके साथ मकान पर चस्पा किये गये फोटो तथा प्राधिकृत अधिकारी का शपथपत्र दिनांक 11.03.2015 का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी कम्पनी गृह फाईनेन्स लि0 ने अप्रार्थीगण भागीरथ पुत्र सेवाराम व सुखी उर्फ सुलोचना पत्नि भागीरथ निवासी 1एफ छोटी, टेलेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर को ऋण सुविधा के रूप में ऋण राशि 2,00,000/–रूपये (अखरे रूपये दो लाख मात्र) दिनांक 11.12.2009 को स्वीकृत किया था। जिसकी सुरक्षा की ऐवज में अप्रार्थी ऋणी श्री भागीरथ ने अपनी अचल सम्पति चक 1 एफ तहसील एवं जिला श्रीगंगानगर तादादी 927 वर्गफीट (पट्टा सं0 21) प्रार्थी कम्पनी के पास बंधक रखा। अप्रार्थीगण ऋणीयो द्वारा कम्पनी की ऋण राशि का नियमित रूप से भुगतान नही करने के कारण उनका ऋण खाता दिनांक 31.05.2013 को एनपीए घोषित कर दिया गया व सरपंच ग्राम पंचायत 4 एमएल के वारिस प्रमाण पत्र दिनांक 16.03.2012 के अनुसार अप्रार्थी भागीरथ एवं उसकी पूर्व पत्नि सुखदेवी की मृत्यु हो चुकी है। उनके विधिक वारिसान रूबिना पुत्री व रजत पुत्र है प्रार्थी कम्पनी के प्राधिकृत अधिकारी श्री भूपेन्द्र सिंह के शपथ पत्र दिनांक 11.03.15 एवं प्रा0 पत्र दिनांक 09.01.17 के अनुसार मृत्तक भागीरथ की दूसरी पत्नि

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

सुखी उर्फ सुलोचाना देवी है। अप्रार्थीयान को प्रार्थी कम्पनी द्वारा अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत 60 दिवस के रजिस्टर्ड एडी नोटिस दिनांक 02.08.2014 के डाक द्वारा भिजवाये गये। जिनकी तामील अप्रार्थीयान पर नही होने से धारा 13(2) के नोटिस दिनांक 13.09.2014 को चस्पा करवाये गये और दिनांक 23.09.2014 को दैनिक युग पक्ष व दैनिक कृषि प्रभात समाचार पत्रो में प्रकाशन भी करवाया गया। इसके बावजूद भी अप्रार्थीयान द्वारा कम्पनी की बकाया राशि का भुगतान नही किया गया। नोटिस प्रकाशन की अवधि 60 दिवस पूर्ण होन पर कम्पनी के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा दिनांक 02.12.2014 को बंधक रखी गयी उक्त सम्पति का सांकेतिक कब्जा भी लिया जा चुका है एवं सांकेतिक कब्जे बाबत अखबार में दिनांक 07.12.2014 को प्रकाशित भी करवाया गया है। इसके बावजूद भी अप्रार्थीयान द्वारा प्रार्थी कम्पनी की बकाया ऋण राशि जमा नही करवाई गई है। इसलिए प्रार्थी कम्पनी की ऋण राशि की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थीयान ऋणीयों द्वारा बंधक रखी गयी सम्पति आवासीय मकान चक 1 एफ छोटी तहसील एवं जिला श्रीगंगानगर तादादी 927 वर्गफीट (पट्टा न0 21) का भौतिक कब्जा प्रार्थी कम्पनी को दिलाया जाना आवश्यक है।

अतः प्रार्थी कम्पनी का उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है और अप्रार्थी ऋणी श्री भागीरथ पुत्र सेवा राम निवासी 1 एफ छोटी, टेलेवाला तहसील एवं जिला श्रीगंगानगर द्वारा कम्पनी की ऋण राशि की एवज में बंधक रखी गयी सम्पति आवासीय मकान चक 1 एफ छोटी तहसील एवं जिला श्रीगंगानगर तादादी 927 वर्गफीट (पट्टा न0 21) तहसील एवं जिला श्रीगंगानगर का भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से प्रार्थी कम्पनी को अप्रार्थीयान से दिलाये जाने के आदेश दिये जाते है। आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को इस अनुरोध के साथ अग्रेषित की जाती है कि प्रार्थी कम्पनी को उक्त सम्पति का कब्जा प्राप्ति हेतु उनके चाहे अनुसार पुलिस सहायता सम्बन्धित पुलिस थाना के माध्यम से उपलब्ध करवाई जावें। आदेश की प्रति प्रार्थी कम्पनी व जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे।

यह आदेश आज दिनांक 07.02.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ज्ञाना राम)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर